रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7, 1974/अग्रहायण 16, 1896
No. 299] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7, 1974/AGRAHAYANA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Secretariat Library
Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER NO. 9/74

New Delhi, the 7th December 1974

No. I&E/74.—In exercise of the powers conferred by rule 126 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby rescinds the order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. 2/72, dated the 11th February, 1972 prohibiting the import and export of all goods directly into or from any port or place in India, from or to any port or place in Pakistan.

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश संख्या 9/74

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1974

सं०.—आई० एंड ई०/74.—भारत सुरक्षा नियमावली, 1971 के नियम 126 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भी पत्तन या स्थान को पाकिस्तान

के किसी भी पत्तन या स्थान से सभी प्रकार के माल के सीधे आयात को और पाकिस्तान के किसी भी पत्तन या स्थान को भारत के किसी भी पत्तन या स्थान से सभी प्रकार के माल के सीधे निर्यात को निषेध करते हुए भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 2/72, दिनांक 11 फरवरी, 1972 को एतद् द्वारा रद्द करती है ।

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974